राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 2216/2019

सुनीता दोचनिया पुत्री श्री धर्मपाल सिंह, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी 6-सी-19, जे.एन.वी. कॉलोनी, बीकानेर। वर्तमान में राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लूणकरणसर, जिला बीकानेर में स्कूल व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद पर कार्यरत।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लूणकरण जिला बीकानेर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री योराज सिंह

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री श्रवण कुमार, एजीसी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>04/04/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत प्रतिवादियों की ओर से स्कूल लेक्चरर (अंग्रेजी) के पद पर 2017 के नियमों के अनुसार 31,100/- रुपये का निर्धारित पारिश्रमिक और उसके परिणामस्वरूप लाभ प्रदान न करने के कारण उत्पन्न हुई है।

2. मामले के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

2.1. याचिकाकर्ता को विज्ञापन दिनांक 01.07.2013 (अनुलग्नक 1) के अनुसार एलडीसी के पद पर नियुक्त किया गया था और उसे ग्राम पंचायत गुसाईसर में पदस्थापन प्रदान किया गया था। परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद, उसकी सेवाओं

को वेतनमान 5200-20000 ग्रेड पे 2400/- रुपये में दिनांक 21.12.2015 (अनुलग्नक 2) के आदेश द्वारा पुष्टि की गई थी।

2.2. तत्पश्चात, आर.पी.एस.सी. द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार, याचिकाकर्ता ने स्कूल लेक्चरर (अंग्रेजी) के पद के लिए आवेदन किया तथा उसका चयन हो गया।

2.3. लेक्चरर के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के समय याचिकाकर्ता एल.डी.सी. के पद पर 22,525/- रुपये वेतन प्राप्त कर रही थी। अतः प्रतिवादी प्राधिकारियों ने उसे विकल्प प्रस्तुत करने के लिए कहा कि क्या वह परिवीक्षा अवधि के दौरान स्कूल लेक्चरर के पद का निर्धारित पारिश्रमिक या एल.डी.सी. के पद का अंतिम आहरित वेतन प्राप्त करना चाहेगी। याचिकाकर्ता ने अपना विकल्प प्रपत्र प्रस्तुत किया तथा एल.डी.सी. के पद पर अंतिम आहरित वेतन का चयन किया, क्योंकि कार्यभार ग्रहण करने के समय परिवीक्षा अवधि के अंतर्गत लेक्चरर का निर्धारित वेतन 17,500/- रुपये था, जो कि विवाद में नहीं है।

2.4. राजस्थान राज्य ने दिनांक 30.10.2017 की अधिसूचना (अनुबंध 5) के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 बनाए, जो 01.10.2017 से लागू हो गए। इसके तहत स्कूल व्याख्याता परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के लिए निर्धारित पारिश्रमिक को संशोधित कर 31,100/- रुपए प्रतिमाह कर दिया गया। जब याचिकाकर्ता को उक्त नियमों के बारे में पता चला, तो उसने दिनांक 09.03.2018 को प्रतिवादी संख्या 4 - प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लूणकरणसर को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (अनुबंध 6) और 2017 के नियमों के तहत 31,100/- रुपए का निर्धारित पारिश्रमिक देने का अनुरोध किया।

2.5. 24.01.2019 को याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी अधिकारियों को एक कानूनी नोटिस (अनुलग्नक 9) भी भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए यह याचिका।

3. जवाब में बचाव यह है कि याचिकाकर्ता ने 15.12.2017 (अनुलग्नक आर/1) को विकल्प प्रपत्र प्रस्तुत किया, यानी 30.10.2017 की अधिसूचना (अनुलग्नक 5) लागू होने के काफी समय बाद। याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका/अभ्यावेदन/ कानूनी नोटिस एक बाद का विचार है। बार-बार अभ्यावेदन करने से सीमा अवधि नहीं बढ़ सकती। उसके विकल्प प्रपत्र के अनुसार, उसे परिवीक्षा अवधि के दौरान निश्चित पारिश्रमिक दिया गया था। इसलिए, याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. यहाँ संक्षिप्त विवाद केवल राजस्थान सेवा नियम, 1951 (इसके बाद '1951 के नियम') के नियम 24 की व्याख्या के संबंध में है, जो परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी व्यक्ति के वेतन के निर्धारण को नियंत्रित करता है। उपयुक्त होने के नाते, इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

> "नियम 24. वेतन पद के वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए-
>
> सरकारी सेवा में समय पैमाने पर किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति को प्रारंभिक वेतन उस वेतनमान का न्यूनतम अथवा सरकार द्वारा निर्धारित या अनुमोदित स्तर पर मिलेगा, बशर्ते कि वह उसके द्वारा धारित पद के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत वेतन से अधिक न हो। सरकार की मंजूरी के बिना किसी सरकारी कर्मचारी को कोई विशेष अथवा व्यक्तिगत वेतन नहीं दिया जाएगा।
>
> "इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर निश्चित पारिश्रमिक मिलेगा तथा परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर इस नियम के तहत परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने के अगले दिन से पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।
>
> इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जो पहले से ही राज्य सरकार की नियमित सेवा में है, दिनांक 20.1.2006 को या उसके पश्चात दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे अपने पूर्व पद के वेतनमान में वेतन दिया जाएगा अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाएगा, जो भी उसके लिए लाभकारी हो तथा परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात उसका वेतन नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार नए पद के वेतनमान में निर्धारित किया जाएगा।

5.1. उपर्युक्त नियम के प्रावधान से किसी भी तरह से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, जिसने पिछली सरकारी सेवा का लाभ लिया है,

एक उदार संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें उसे अपने वेतन को या तो पिछले पद पर अंतिम आहरित वेतन के आधार पर या नई नौकरी पर निर्धारित वेतन-मान के आधार पर चुनने का विकल्प दिया गया है, जो भी उसके लिए अधिक लाभदायक हो। इसके अनुसार, याचिकाकर्ता ने प्रासंगिक समय पर अंतिम आहरित वेतन का विकल्प चुना, जो कि विकल्प के रूप में निर्धारित वेतन-मान से अधिक था। इसके बाद, जैसा कि उजागर हुआ, उक्त निर्णय एक आत्मघाती लक्ष्य बन गया क्योंकि निर्धारित वेतनमान को उसके अंतिम आहरित वेतन से अधिक कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का विकल्प/निर्णय लाभकारी होने के बजाय उसके लिए हानिकारक हो गया और परिणामस्वरूप उसे पहले से कम वेतन मिला। जबकि उनके समकक्ष, जिन्होंने अतीत में भी सेवा प्रदान की थी और निश्चित वेतन का विकल्प चुना था, वे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे थे, लेकिन साथ ही याचिकाकर्ता को उनसे कम वेतन मिलने पर जलन महसूस हो रही थी।

5.2. प्रतिवादियों के विद्वान वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त नियम अधिसूचित होने के बाद अंतिम वेतन का विकल्प चुना था, इसलिए याचिकाकर्ता बाद में कोई उलटफेर नहीं कर सकता और अपने गलत निर्णय का लाभ नहीं उठा सकता। मैं प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। चूंकि उपरोक्त नियम कर्मचारियों के लाभ के लिए लाया गया है, न कि उनके नुकसान के लिए। इसके अलावा, अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में इस बात पर कोई रोक नहीं है कि एक कर्मचारी ने एक बार लाभकारी वेतनमान चुन लिया है, अगर वह बाद में उसके लिए हानिकारक साबित होता है तो वह अपना विकल्प/निर्णय नहीं बदल सकता।

5.3. उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता का संशोधित निश्चित वेतनमान का लाभ देने का दावा उचित है। तदनुसार प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के नए विकल्प के आधार पर स्कूल लेक्चरर के पद के लिए स्वीकार्य मासिक वेतन को संशोधित करने का आदेश दिया जाता है।

6. ऐसा होने के कारण, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता की परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन का बकाया दो महीने की अवधि के भीतर गणना करके उसे भुगतान किया जाना चाहिए।

7. यह न्यायालय लागू सेवा नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता को ब्याज देने के लिए इच्छुक था। हालांकि, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि मामले को

सौहार्दपूर्ण ढंग से शांत करने के लिए याचिकाकर्ता किसी भी ब्याज का दावा नहीं करेगा।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।